24/3/4 पत्रावली पेश। वकील प्रतिवादी संख्या-1 एवं प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता ने बहस में अभिकथन किया कि प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रश्नगत कृषि भूमि वादी के नाना से उसकी माता को विरासत प्राप्त हुई थी। प्रकरण के पक्षकारान हिन्दू हैं एवं किसी हिन्दू स्त्री को अपने पिता से प्राप्त सम्पत्ति उस हिन्दू स्त्री की हिन्दू विधि के तहत आत्यन्तिक सम्पत्ति है जिसकी वह हिन्दू स्त्री पूर्ण स्वामी है। तथा अन्तरण/हस्तान्तरण करने की पूर्ण हकदार है। उक्त भूमि में वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा ना ही वादग्रस्त सम्पत्ति पैतृक या सहदायिक सम्पत्ति है। वादी की माता ने उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपने तमाम हिस्से की दानबख्शीश मुझ प्रतिवादी सं.-1 के पक्ष में कर दी है। इसलिए वादी एवं उसकी माता का उक्त वर्णित सम्पत्ति/कृषि भूमि में कोई हक, अधिकार नहीं है। वादी का वाद विधि विरुद्ध है तथा वादी ने मिथ्या, निराधार, वेग एवं गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है जो खारिज किया जावे। वादी अधिवक्ता ने बहस में विरोध करते हुए कथन किया कि नाना से माता को प्राप्त सम्पत्ति में वादी का हित है, वादी का निराधार, वेग नहीं है तथा पोषणीय है। प्रकरण में साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 18:21:05 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों एवं विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। मेरे विनम्र मतानुसार प्रश्नगत सम्पत्ति वादी के नाना से उसकी माता को विरासत प्राप्त हुई है। हिन्दू विधि में 2005 के संशोधन के द्वारा महज पुत्री का पैतृक सम्पत्ति में सहदायिक माना गया है। धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मुताबिक किसी हिन्दू स्त्री को अपने पिता से प्राप्त सम्पत्ति उक्त हिन्दू स्त्री पूर्ण स्वामी है। इसलिए वादी के नाना की सम्पत्ति से वादी की माता की माता को प्राप्त सम्पत्ति में माता के साथ सहदायिक हो सकता है। माननीय राज० न्यायालय ने 2008(2) डब्ल्यू.एल.एन. 1390 (राज०) टैम्पल श्री ठाकुर मथुराधीश जी द्वारा मंगल बनाम श्री कन्हैया लाल व अन्य यदि वाद न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो तो न्यायालय असहाय नहीं है, न्यायालय CPC की धारा 151 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद खारिज कर सकता है। अन्य एवं 2019(3) सिविल कोर्ट केसेज 160 (राज.) पुखराज सोनी बनाम सोना व अन्य न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित किया है कि Plaint can be rejected u/s 151 CPC even in absence of available ground of O7 Rule 11 CPC as frivolous litigation as to be nibbed in the bud at the earliest possible stage to safeguard the rights of adversary in facing litigation and prolonging his agony. उक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्पष्ट विधि विरुद्ध / [illegible] एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग [illegible] होने पर खारिज निरस्ती के है जो इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखकर सुनाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan
Date: 2021.04.13 18:21:05
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़